न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 10/2019

दायर दिनांक : 13.05.2019

आदेश दिनांक : 23.01.2020

श्रीमति बसन्तीदेवी पत्नी सोहनलाल जाति तम्बोली उम्र वयस्क निवासी 50 ए न्यू फतहपुरा उदयपुर जिला उदयपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, एवं अपर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मैनेजर भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द

—अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 एवार्ड क्रमांक 230/दिनांक 21.07.2017

उपस्थित

1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री गिरिश तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित
4. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की भूमि राजस्व ग्राम आसोटिया तहसील राजसमन्द के आराजी नं0 742/7 रकबा 0.0279 हैक्टर अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1500 रूपये वर्गफीट से भी अधिक है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मात्र 2107755/—रूपये ही तय किया गया है जो कि 1894/—रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है। जबकि उक्त भूमि जो कि 1113 वर्गफीट अवाप्त की गयी है, उस पर 1500/—रूपये प्रति वर्गफीट की दर से मुआवजा देय होता है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही अवार्ड जारी किया गया। जबकि प्रार्थिया की 1113 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भूमि का मुआवजा 2107755/— रूपये तय किया गया है उक्त भूमि का मुआवजा 1500 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है। लेकिन प्रार्थिया को

उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया है। न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण मे अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नही किया गया, न ही अदा किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी द्वारा जानबूझकर देरी से अदा किया गया है। मुआवजा केवल मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। प्रार्थिया की सारी भूमि अवाप्त हो चुकी है। लेकिन मुआवजा मात्र 2107755/– रूपये ही तय किया गया। इसलिये प्रार्थिया उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 1500 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही मे अवाप्त की जा रही है। उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थिया को विपक्षी से दिलवायी जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि 2107755/–रूपये एवं ब्याज 200959/– रूपये नियमानुसार तय किया है, जिसमे कोई अनियमितता नहीं हुई है, प्रार्थीया वर्तमान बाजार दर से राशि चाहती है, जो देय नहीं है। मुआवजा तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर से तय कर भुगतान किया है। प्रार्थीया जिस भूमि का मुआवजा प्राप्त करना चाहती है उसका RFCTLARR ACT 2013 के तहत मुआवजा निर्धारित डी0एल0सी0 दर से तय कर अवार्ड जारी कर भुगतान कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खांरिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अवाप्तशुदा भूमि आराजी नं0 742/7 की रूपान्तरणशुदा भूमि होकर उक्त भूमि का पट्टा विलेख नगरपालिका राजसमन्द द्वारा प्रमोद मोदी के पक्ष मे दिनांक 30.12.2010 को जारी किया गया है। उक्त पट्टाशुदा भूमि बसन्ती देवी द्वारा 1500 वर्गफीट जरिये रजिर्स्टड विक्रय विलेख दिनांक 06.09.2012 से क्रय की गयी है। जिसमें से प्रार्थीया ने 300 वर्गफूट भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.11.2012 को विक्रय की गयी है। जो चार लाख रूपये के प्रतिफल पर विक्रय की गयी है। प्रार्थीया द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही मे दिनांक 11.08.2017 को उक्त दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र विपक्षी के यहा पेश किया था लेकिन उक्त भूमि का मुआवजा 1894 वर्गमीटर से दिया गया जबकि स्वयं प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि 1200 रूपये प्रति वर्गफीट से विक्रय की गयी है। जबकि मुआवजा डी0एल0सी0 की दर अनुसार दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया उक्त भूमि का मुआवजा विक्रय पत्र मे वर्णित प्रतिफल अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधाल लागु हो चुके है। इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह व

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 27.03.2017 के अनुसार ब्याज व तोषण राशि क्षतिपूर्ति के रूप मे बाजार दर अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि उक्त भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से तत्काल डी0एल0सी0 अनुसार अदा किया गया है। तथा उस पर भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा अदा किया गया है। 3ए जारी करने के बाद उक्त दस्तावेज पेश नहीं किये है। यदि पेश करते तो मुआवजा उसी अनुसार निर्धारित होता। उक्त दस्तावेज के आधार पर मुआवजा
प्रार्थीया को अदा नहीं किया गया है। इसलिए उक्त दस्तावेज पर विचार करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करने हेतु विपक्षी द्वारा सहमति दी है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवाप्तशुदा भूमि आराजी नं0 742/7 की रूपान्तरणशुदा भूमि होकर उक्त भूमि का पट्टा विलेख नगरपालिका राजसमन्द द्वारा प्रमोद मोदी के पक्ष मे दिनांक 30.12.2010 को जारी किया गया है। उक्त पट्टाशुदा भूमि बसन्ती देवी द्वारा 1500 वर्गफीट जरिये रजिर्स्टड विक्रय विलेख दिनांक 06.09.2012 से क्रय की गयी है। जिसमें से प्रार्थीया ने 300 वर्गफूट भूमि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.11.2012 को विक्रय की गयी है। जो चार लाख रूपये के प्रतिफल पर विक्रय की गयी है। प्रार्थीया द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही मे दिनांक 11.08.2017 को उक्त दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र विपक्षी के यहा पेश किया था लेकिन उक्त भूमि का मुआवजा 1894 वर्गमीटर से दिया गया जबकि स्वयं प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि 1200 रूपये प्रति वर्गफीट से विक्रय की गयी है। जबकि मुआवजा डी0एल0सी0 की दर अनुसार दिया गया है। उक्त प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर व विक्रय पत्र को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करें। आदेश की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 23.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद